।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान,जयपुर ।।

क्रमांकः—प.2(2)/मुख्यालय/24/2021/13688-808 दिनांकः 22/05/2025

स्थाई आदेश — 01/2025

नवीन कारागृह निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में राजस्थान कारागार अधिनियम, 2022 के अनुसार भूमि आवंटन के नोर्म्स/मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैः—

1. नये संस्थानों के लिये स्थल का चयन करते समय परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था, उच्च शक्ति वाली विद्युत लाइनों के साथ कनेक्शन, जल निकासी और सीवरेज सुविधा, संचार सुविधाएं (जैसे डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन और इंटरनेट इत्यादि), जलवायु परिस्थितियां, संस्थागत आपूर्ति की खरीद के लिए सुविधाएं जैसे कारकों को ध्यान में रखना होगा।
2. न्यायालय, सिविल अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र और जेल कर्मियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं जैसी संस्थाएं आसान पहुंच के भीतर होनी चाहिए।
3. राजस्थान कारागार अधिनियम, 2022 के अनुसार केन्द्रीय कारागृह, जिला कारागृह एवं उप कारागृह हेतु न्यूनतम बंदी क्षमता क्रमशः 1500 बंदी, 750 बंदी एवं 500 बंदी निर्धारित की गई है।
4. महिला बंदी सुधारगृह हेतु न्यूनतम बंदी क्षमता 250 बंदी एवं किशोर बंदी सुधारगृह एवं अवैध प्रवासियों के लिये डिटेन्शन सेन्टर हेतु न्यूनतम बंदी क्षमता क्रमशः 100—100 बंदी निर्धारित की जाती है।
5. निर्धारित मानकों के अनुसार मैनवॉल के अंदर पर्याप्त खुला स्थान रखना आवश्यक है ताकि वायु एवं सूर्य के प्रकाश का संचार जेल के अंदर सुगमता से हो सके, जिसके लिये मैनवॉल के भीतर का कुल क्षेत्र कुल क्षमता के अनुसार प्रति व्यक्ति 83.6 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिये।
6. सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई से पूर्व उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये कारागृह की बंदी क्षमता की दस प्रतिशत संख्या में बंदियों हेतु खुला बंदी शिविर, आवासगृहों का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।
7. कारागृह के संचालन के लिये पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचरियों के लिये आवासगृहों का निर्माण, पुरूष/महिला प्रहरी बैरकों का निर्माण एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्लेग्राउण्ड, क्रेच जैसी मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करवाया जाना अतिआवश्यक है।

Signature valid

Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.05.22 15:15:54 IST
Reason: Approved

Raj Ref No.: 15446228

अतः उक्त मानकों को ध्यान में रखते हुए नवीन कारागृह निर्माण हेतु निम्नानुसार नवीन भूमि की आवश्यकता होगीः–

क्र. सं.	कारागृह का नाम	न्यूनतम भूमि की माप (बीघा में)
1	केन्द्रीय कारागृह	25.00 हैक्टेयर
2	जिला कारागृह	12.00 हैक्टेयर
3	उप कारागृह	08.00 हैक्टेयर
4	महिला बंदी सुधारगृह	04.00 हैक्टेयर
5	किशोर बंदी सुधारगृह	02.00 हैक्टेयर
6	डिटेन्शन सेन्टर	02.00 हैक्टेयर
7	खुला बंदी शिविर	01.00 हैक्टेयर (प्रति 100 बंदी)

(गोविन्द गुप्ता)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
3. अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय कारागृह, जिला कारागृह, उप कारागृह, महिला बंदी सुधारगृह, किशोर बंदी सुधारगृह राजस्थान।
5. संस्थापन अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid
महानिदेशक कारागार
राजस्थान
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.05.22 1?:15:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15446228